RAJYA SABHA

Wednesday, the 26th July, 1989/4th Sravana, 1911 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Deteriorating Conditions of Libraries in the country

†*121. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Constitution for bringing the libraries under the Union/Government List, in view of the deteriorating conditions of libraries in the country;

(b) if so, by when it is likely to be done;

(c) whether Government have received any representations in this regard; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, my question was whether there is going to be any national law for the Union and the States so that the whole library system is also brought under the Concurrent List. Now, we are bringing so many subjects under the Concurrent List. Like panchayati education, it is also very important, and on 13th April, 1988, an empowered committee had recommended the setting up of a National Committee on Libraries. One of the recommendations is that there should be a National Commission for Libraries. This is very important because there may not be a National Commission; of course it may deal with certain subjects also, but here the answer given is No, Sir. Will the Minister throw some light on this because this is very important and that is why I have raised this issue; it is an absolutely non-political and an academic issue.

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय; माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न किस बिन्दु पर है यह तो मेरी समझ में नहीं आया; अच्छा खासा भाषण उन्होंने दे दिया; लेकिन जो मैं समझ पाई हूं उसके अनुसार माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, और बड़े बुद्धिमान सदस्य हैं, कि पुस्तकालय का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 2 राज्य सूची में सम्मिलित है । केवल कुछ संस्थाओं—नेशनल लाइब्रेरी, इण्डियन म्यूजियम, तथा इम्पीरियल बार मेमोरियल तथा ऐसी संस्थाएं जिन्हें संसद ने कानून के द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया है, केन्द्र सरकार की सीधी जिम्मेदारी है, बाकी यह राज्य सरकार का विषय है।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: My question was whether the Government has received any representation in this regard . . .

SHRIMATI KRISHNA SAHI: No, Sir.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: There also, I have explained that a particular direct suggestions of bringing it under Concurrent List may not be there, but a National Committee on Libraries has been recommended to be set up. The House should be enlightened on this. Only five States have the Library Act, like Punjab, Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, West

†Original notice of the question received in Hindi.

Bengal, Maharashtra etc. and the Union Government is also recommending them to do something about it. When you are doing something about the libraries, you should also enlighten us about it rather than that giving the answer as No, Sir. It is for you to answer because nobody can force you. Even now you can throw some light.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: National Commission on National Library Board is not related to the question of the subject being kept on the Union or Concurrent List.

SHRIMATI JAYANTHA NATARAJAN: Sir, I understand from the newspapers that there was a meeting of State Ministers in New Delhi recently. I would like to know from the hon. Minister whether any recommendations were made at this meeting of State Minister of Culture and Education in regard to libraries.

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, अभी 12-13 जुलाई को सभी प्रांतों के संस्कृति मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । राज्यों के संस्कृति मंत्रियों ने लाइब्रेरी के विषय में कुछ अनुशंसाएं की थी । पहली अनुशंसा यह थी कि पंचायत लाइब्रेरी को आठवीं योजना में स्वीकार किया जाए । दूसरी अनुशंसा यह थी कि जो भारत सरकार के द्वारा मॉडल बिल स्टेट को भेजे गये हैं उसको सभी राज्यों को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि कुछ राज्यों ने किया है और कुछ ने नहीं लिया । तीसरी अनुशंसा यह थी कि राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी को भारत सरकार को रिव्यू करना चाहिए। वह यह देखे कि उसका काम कैसे चल रहा है और आगे कैसे करना चाहिए । रिव्यू उनका एक मुद्दा था और दूसरे कहा कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें और राशि प्रदान की जाए ताकि राज्यों के पुस्तकालयों को राशि दी जा सके ।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : सभापति महोदय, हमारे देश में लाइब्रेरियों की बहुत कमी है और जो है उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्राइवेट संस्था या सर्विस क्लब कहीं लाइब्रेरी खोलना चाहे पब्लिक कंटरीब्यूशन के साथ तो क्या केन्द्रीय सरकार से उनको मदद मिलेगी ?

श्रीमती कृष्णा साही: सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के अंतर्गत होने के कारण उनके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है ।

SHRIMATI VEENA VERMA: What are the criteria for bringing libraries under the Central management? What is the total number at present and in how many cases Central grants have been reduced or stopped to the libraries? Part(b) of my question is, what is the reason for not giving any grant to the Sapru House. Library, one of the biggest libraries in Asia, in 1988-89 and 1989-90? Has the Department of Culture stopped giving grants to this library?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, पहला तो माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा कि क्राइटेरिया क्या है । आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान देकर ही इस पर विचार किया जाता है । लाइब्रेरी की क्या आवश्यकताएं हैं उनका अन्वेषण क्या है, सामग्री उपलब्धता क्या है, वहां पांडुलिपियां कितनी हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है । ऐसे विषयों को ध्यान में रखने के बाद इस क्राइटेरिया को अपनाया जाता है । जहां तक राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी का सवाल है उसको हम लोग जो राशि प्रदान करते हैं ...

श्री सभापति : यह सप्रू हाउस लाइब्रेरी के बारे में पूछ रही हैं ।

श्रीमती कृष्णा साही : स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जो लाइब्रेरी चलाई जाती है उनको सहायता दी जाती है और सप्रू लाइब्रेरी का जहां तक सवाल है फंड उनका बंद नहीं किया गया है लेकिन वहां पर कुछ

एक्जामिनेशंस चल रहे हैं, उनका लेखा-जोखा चल रहा है और उसमें कुछ छानबीन की जा रही है इसलिए अभी फिलहाल बंद है ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, for two years no grant has been given by the Department of Culture.

दो साल से उनको कोई ग्रांट नहीं मिली है । 87-88 तक मिली है ।

श्री सभापति : यह बता दीजिए कि इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कृष्णा साही : इसके लिए अलग से प्रश्न किया जाए ।

श्री चतुरानन मिश्र : ग्रामीण पुस्तकालयों की हालत बहुत अधिक खराब है । यह बात सही है कि लाइब्रेरी स्टेट लिस्ट में है लेकिन गांव जो है जो भारत के हैं वहां राज्य के भी हैं उसको देखते हुए ग्रामीण समुदाय को ज्यादा एनलाइटन करने के लिए मेरा अनुरोध है । एक तो सती कांड हो रहा है, हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं उसको देखते हुए क्या सरकार इस पर फिर से विचार करेगी कि ग्रामीण लाइब्रेरी को आवश्यक अनुदान ग्रांट की जाए और आधुनिक बनाया जाए इस पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री सभापति : यह जो प्रश्न है यह पुस्तकालयों को कान्करेंट लिस्ट में लाने के बारे में है । क्या आप कांक्रेट लिस्ट के खिलाफ हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने पूछा है कि इसके अलावा क्या सरकार इसपर भी विचार करेगी?

श्री सभापति : प्रश्न इससे उठता नहीं है । लेकिन मैंने इसलिए पूछने की इजाजत दे दी कि गांव की बात कर रहे थे।

श्री चतुरानन मिश्र : कंस्टीटयूशन में इसका प्रावधान करने के लिए सरकार विचार कर सकती है क्या? इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि वह पुनर्विचार करे ।

MR. CHAIRMAN: Education is already in the Concurrent List.

SHRI DIPEN GHOSH: Education is already in the Concurrent List and library belongs to non-formal education. So, the Minister is entitled to reply.

MR. CHAIRMAN: Are you telling that it is already in the Concurrent List?

SHRI DIPEN GHOSH: Education is already in the ...

MR. CHAIRMAN: I am talking of the library.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): My friend is slightly confusing the issue. Entry 12 of List II specifically refers to the libraries and when it comes to entry 62 of List I in the Union List, it is in a different form. Therefore, it is not non-formal education. That interpretation may not fit in here.

MR. CHAIRMAN: Constitutional experts will not agree.

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा प्रश्न यह है कि इसके न रहते हुए...

श्री सभापति : यह इससे उठता नहीं है । गांव की लाइब्रेरी की मदद कर सकते हैं क्या यह आप बता दीजिए ।

श्रीमती कृष्णा साही : वर्तमान परिस्थितियों में पुस्तकालय विषय को संघ/समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Procedure adopted for Awarding Catering Contracts for Indian Airlines and Air India

*122. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state the names of the present catering contractors engaged by Indian Airlines and Air India and the procedure adopted for awarding the contracts to these caterers?